प्रारूप-9
नियम 8(2) देखिये

संख्या 00811/2019-2020 | दिनांक 28/11/2019

सोसाइटी के नवीनीकरण का प्रमाण-पत्र

(अधिनियम संख्या 21, 1860 के अधीन)

नवीनीकरण संख्या:R/SKN/01338/2019-2020 पत्रावली संख्या:G-54431 दिनांक:2014-2015

एतदद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि **चन्द्रावती देवी जनकल्याण सेवा संस्थान, मुखलिसपुर रोड बिधियानी तिराहा, गांधीनगर, तहसील-खलीलाबाद, जनपद-संतकबीरनगर, संत कबीर नगर , 272175** को दिये गये रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र संख्या- 262/2014-2015 दिनांक-12/06/2014 को दिनांक-12/06/2019 से पांच वर्ष की अवधि के लिए नवीनीकृत किया गया है |

1350 रुपये की नवीनीकरण फीस सम्यक् रूप से प्राप्त हो गयी है |

Digitally Signed By
(SUNIL KUMAR SRIVASTAVA)

जारी करने का दिनांक-28/11/2019

सोसाइटी के रजिस्ट्रार,
उत्तर प्रदेश ।

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी
खलीलाबाद-संत कबीर नगर

PRINCIPAL
Raj Global Academy
Chamak Darufa Malcrana
Khalilabad S.K.N.-272175 (U.P.)

MANAGER
Raj Global Academy
Chamak Darufa Malcrana
Khalilabad S.K.N.-272175 (U.P.)

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

19AC 533308

यह अनुबन्ध स्टाम्प पेपर [illegible] ... 5493/ [illegible] ... के साथ संलग्न है

PRINCIPAL
Raj Global Academy

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज़ तथा चिट्स
गोरखपुर

स्मृति–पत्र

1 संस्था का नाम	**चन्द्रावती देवी जनकल्याण सेवा संस्थान**
2 संस्था का पूरा पता	: मुखलिसपुर रोड बिधियानी तिराहा, गांधीनगर, तह0–खलीलाबाद, संत कबीर नगर (उ0प्र0)
3 संस्था का कार्यक्षेत्र	: सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश
4 संस्था के उद्देश्य	1. भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जनहितकारी योजनाओं व प्रकल्पो का क्रियान्वयन। ...

1. भारत सरकार व प्रदेश सरकार द्वारा निर्धारित जनहितकारी योजनाओं व प्रकल्पो का क्रियान्वयन। राष्ट्रीय–अन्तर्राष्ट्रीय, सामाजिक, पर्यावरणीय व अन्य समस्त समस्याओं के प्रति जनता का ध्यान आकृष्ट करने के लिए दृश्य–श्रव्य उपकरणों के माध्यम से कार्यक्रम। संबंधित क्षेत्रों में चेतना जागरण। पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए विविध प्रकल्पो का आयोजन। पर्यावरण प्रदूषण जाच केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।युवा, महिला, वर्ग हेतु कार्यक्रमों का सृजन। आदिवासियों एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों व विमुक्त जनजातियों का समग्र विकास। दलित, शोषित व पीड़ित, असहाय व अशक्त लोगों के लिए निःशुल्क चिकित्सा, शिक्षा के कार्यक्रम।

2. केन्द्रीय व प्रदेश सरकार की योजनाओ के अनुसार प्रदेश के विभिन्न जनपदों के ग्रामीण/शहरी/मलिन बस्तियों में रहने वाले बालक एवं बालिकाओं की शिक्षा के लिए प्राथमिक/माध्यमिक/महाविद्यालयों/ प्राविधिक/विकलांग/यू0पी0 बोर्ड, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, सी.बी.एस.ई. बोर्ड, आई.सी.एस.सी. बोर्ड संस्कृत, अंग्रेजी, फारसी, अम्बेडकर, आवासीय, मूक बधिर व आश्रम पद्धति सहित विभिन्न स्तरीय शिक्षण संस्थानों की स्थापना करना। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत बालक–बालिकाओं को साक्षर बनाना। निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों, क्रीडास्थलों, वृद्धा एवं विधवा आश्रमों, नारी निकेतन, शिशु गृहों की स्थापना करना एवं उनके छात्रवृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था करना। आवासीय विकलांग विद्यालय व मंद बुद्धि बाल विद्यालयों की स्थापना करना। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, दलित, कमजोर एवं गरीबी रेखा के नीचे पिछड़े वर्ग, लघु एवं सीमान्त कृषकों, भूमिहीनों, मजदूरों एवं ग्रामीण हस्तकारों को स्वतः रोजगार करने हेतु तकनीकी ज्ञान एवं प्रशिक्षण देने की व्यवस्था करना।

3. लोगों को स्वास्थ्य के प्रति सतर्क करना एवं संक्रामक रोगों से बचने के लिए प्रचार–प्रसार करना। जनता में स्वास्थ्य चेतना विकसित करते हुए स्वास्थ्य सुधार के कार्यक्रमों के आयोजन व विस्तार की व्यवस्था करना। परिवार कल्याण व प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति को सुस्थापित करना। निःशुल्क प्राकृतिक चिकित्सालयों की स्थापना करना। कुष्ठ, क्षय, हेपटाईटिस बी, मधुमेह व एड्स रोग के आधुनिकतम उपायों के प्रचार-प्रसार एवं तत्संबंधी निःशुल्क चिकित्सालयों की स्थापना। स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन व निःशुल्क सचल चिकित्सा केन्द्रों की स्थापना करना। परिवार नियोजन एवं मातृ–शिशु कल्याण योजनाओं का क्रियान्वयन तथा निःशुल्क नसबंदी, टीकाकरण, आंख के आपरेशन शिविर, चैरिटेबिल अस्पताल, अपंगता, अंधता, पोलियो, इन्सेफेलाइटिस, मच्छरजनित रोग, फाइलेरियासिस(एलीफैन्टियासिस), कैंसर, डेंगू, मलेरिया, घेंघा रोग, हेपेटाइटिस, लिम्फोटिक, वेक्टरबार्न डिजिज, कैंसर अस्पताल, हेल्थ क्लब, ब्लड बैंक व व्यायामशालाओं की स्थापना, चेचक निवारण के केन्द्रों की स्थापना तथा उनका प्रचार–प्रसार करना।

4. महिलाओं की शक्ति व ज्ञानवृद्धि हेतु कार्यक्रम बनाना। महिला व बाल विकास के क्षेत्र में शोध, मूल्यांकन, अनुश्रवण, अध्ययन/संगोष्ठियों, सम्मेलनों, कार्यशालाओं के आयोजन की व्यवस्था। संस्था द्वारा ग्रामीण व गरीब महिलाओं को आय अर्जन हेतु सक्षम बनाना तथा संबंधित प्रशिक्षण के लिए सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, तकनीकी, कुटीर, शिल्प कला, हस्त शिल्प कला, काष्ठ कला, संगीत, नृत्य, थियेटर, अन्य कम्पटीशन, ब्यूटीशियन, फैशन

PRINCIPAL
Raj Global Academy

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी
मलोरना, खलीलाबाद-संत कबीर नगर

डिजायनिंग,लोकनाट्य, फोकडांस, फैशन शो, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र टंकण, आशुलिपि, इलेक्ट्रानिक्स, पेन्टिंग का प्रशिक्षण देना। विश्व बैंक, मौलाना अबुल कलाम फाउंडेशन नई दिल्ली, हेल्पेज इण्डिया केयर विश्व स्वास्थ्य संगठन, राष्ट्रीय महिला कोष द्वारा संचालित बाल एवं महिला विकास कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना। सामाजिक कुरीतियों व महिला उत्पीड़न के निवारण हेतु कदम उठाना। विधिक जागरूकता से सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रों मे कार्य करना। समाज द्वारा बहिष्कृत महिलाओं तथा पुरूषों तथा कमजोर वर्ग व जनजाति वर्ग के लोगों के समग्र विकास व स्वावलम्बन हेतु विभिन्न योजनाएं बनाना एवं क्रियान्वित करना। महिलाओं के प्रति अपराधों तथा अत्याचारों को रोकने की व्यवस्था। व्यावसायिक प्रशिक्षण, आर्थिक सशक्तिकरण हेतु कार्यक्रम। महिलाओं हेतु उपयुक्त विज्ञान व प्रौद्योगिकी को बढ़ावा।

5. प्रौढ़ शिक्षा केन्द्र, महिला कार्यक्रम एवं बाल विकास के कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना तथा पर्यावरण की सुरक्षा हेतु कार्यक्रमों के आयोजन एवं विस्तार की व्यवस्था करना तथा वृक्षारोपण कार्यक्रमों को सफल बनाना। अनैतिक वेश्यावृत्ति उन्मूलन, मानव व्यापार (हयूमन ट्रेफिकिंग) व घरेलू हिंसा के विरूद्ध विविध कार्यक्रम। स्ट्रीट चिल्ड्रेन, मानसिक रोगी व तेजाब हमला (एसिड एसाल्ट) पीड़ितो हेतु पुर्नवास कार्यक्रम।

6. समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड उत्तर प्रदेश, शिक्षा विभाग, कापार्ट, मनरेगा, नौराड, यूनिसेफ व अन्य स्थानीय निकायों द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को प्रसारित करना।

7. शिक्षा द्वारा महिलाओं का सशक्तिकरण। महिलाओं के लिए छात्रावास की व्यवस्था करना। मैरेज ब्यूरो का संचालन व सामूहिक विवाहों का आयोजन। बालिकाओं, महिलाओं से संबंधित यौन प्रहार/आक्रमण, की रोकथाम के लिए युवतियों को आवश्यक जानकारी देना।

8. समाज के सभी वर्गों के लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना। जल के गिरते स्तर को रोकने एवं प्राकृतिक वर्षा द्वारा प्राप्त जल का भंडारण कार्य करना। समाज मे तकनीकी शिक्षा का प्रचार–प्रसार करना एवं वैकल्पिक ऊर्जा के साधनों को विकसित एवं स्थापित करने का कार्य करना। जल संरक्षण, जल संचयन, जलचक्र, जल संसाधन तथा स्वजल धारा से संबंधित समस्त कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार करना।

9. केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, उत्तर प्रदेश खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड, समाज कल्याण विभाग, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, नाबार्ड, सिडवी, सैफ इण्डिया, नौराड, सूडा, अवार्ड, मद्य निषेध विभाग, अल्पसंख्यक विभाग उत्तर प्रदेश, अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास निगम के अंतर्गत शामिल योजनाओं व कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना। खादी ग्रामोद्योग आयोग के समस्त कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना।

10. कृषि की उन्नति के लिए तकनीकी शिक्षा, प्रशिक्षणों का आयोजन व उपयोगी ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना तथा वैज्ञानिक खेती को प्रोत्साहन देना। कृषि कार्य विशेषकर तिलहन व दलहन बोर्ड, कृषि बागवानी बोर्ड इत्यादि के कार्यक्रमों के सफल संचालन हेतु नई वैज्ञानिक पद्धतियों का प्रचार–प्रसार करना। किसानों को आधुनिक कृषि संबंधी जानकारी, वैज्ञानिक ढंग से कृषि उत्पादन की जानकारी तथा बीज, खाद, उर्वरक एवं कृषि यंत्रों की जानकारी।

11. सांस्कृतिक कार्यक्रम, वाद–विवाद प्रतियोगिता एवं सेमिनार का आयोजन। समाज के मूक–बधिर, विकलांग, नेत्रहीन, महिलाओं, विधवाओं, बच्चों व वृद्धों के लिए कल्याणकारी कार्यक्रमों का प्रचार–प्रसार करना व बाल श्रमिकों को उनका कानूनी अधिकार दिलाना। वैकल्पिक ऊर्जा विकास हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन। सौर ऊर्जा के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य करना।

PRINCIPAL
Raj Global Academy
Chamai Danda Makrana
Khalilabad S.K.N.-272175 (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी
मलौरना, खलीलाबाद-संत कबीर नगर

12. जन साधारण के हितार्थ निःशुल्क चिकित्सालय, छात्रावास, पौधशाला, गौशाला, विश्रामालय, विधवा आश्रम, अनाथाश्रम, वृद्धा आश्रम, व्यायामशाला की स्थापना करना। देश–प्रदेश की लोककला, संस्कृति एवं राष्ट्रीय एकीकरण हेतु कार्यक्रम। ग्राम्य स्वावलम्बन हेतु उपयुक्त तकनीकी वैदिक विधाओं पर शिक्षण–प्रशिक्षण से संबंधित कार्यक्रम।

13. मलिन बस्तियों के सुधार के कार्यक्रम, स्वच्छता कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न प्रकार के आधुनिक शौचालयों का निर्माण, प्याऊ, पौधशाला, शुद्ध पेयजल एवं बिजली की समुचित निःशुल्क व्यवस्था प्रदान करना व जनहित में कार्य करना।

14. मुसहर विकास, अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक के शैक्षणिक, सामाजिक स्तरों में सुधार के कार्यक्रम।

15. आयुर्वेद व परंपरागत औषधि ज्ञान को बढ़ावा देने के कार्यक्रम। आयुर्वेदिक औषधियों के संरक्षण व विकास हेतु कार्यक्रमों का संचालन। दैवी व प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप, सूखा, हैजा, प्लेग विभिन्न प्रकार की बीमारी, महामारी व संक्रमण काल में शासन, प्रशासन व जनता का सहयोग करना। पर्यावरण प्रदूषण जांच केन्द्रों की स्थापना व संचालन करना।

16. देश–विदेश से आए विद्यार्थियों, बौद्ध भिक्षुओं, व्यापारियों व किसानों के ठहरने हेतु निशुल्क धर्मशालाओं का निर्माण करना। समाज के अधिक उम्र के व्यक्तियों व निर्बल वर्ग के व्यक्तियों के लिए आवासीय सुविधा की जानकारी उपलब्ध कराना।

17. खेलों को बढ़ावा, खेलों के प्रति गांवों व शहरों में अभिरुचि पैदा करने के लिए खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करना। संस्था के माध्यम से खेलों के मैदान, स्टेडियम आदि का निर्माण व विभिन्न प्रतियोगिताओं के आयोजन के माध्यम से खिलाड़ियों को प्रोत्साहित व पुरस्कृत करना।

18. राष्ट्रीय एकता व अखंडता को कायम रखने के लिए लोगों में राष्ट्रीय एकता की भावना जागृत करना। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, शिविरों, सेमिनारों, वाद–विवाद प्रतियोगिता, प्रदर्शनी का आयोजन।

19. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, मैनेजमेन्ट, चिकित्सा व संगीत के क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों की व्यवस्था करना। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी पर आधारित केन्द्र व राज्य सरकार के कार्यक्रमों को संस्था के माध्यम से प्रचार–प्रसार करना।

20. विकलांगों को स्वावलम्बी बनाने में सहायता करना तथा उनके लिए निःशुल्क कृत्रिम अंगों, ट्राई साइकिल, श्रवण यंत्र उपलब्ध कराते हुए उनकी जीविका की व्यवस्था करना। रेडक्रास सोसायटी के कार्यक्रमों का क्रियान्वयन। निःशुल्क रक्तदान शिविर नशाबन्दी हेतु गोष्ठी व जागरूकता कार्यक्रम। मद्य निषेध तथा मादक पदार्थों के सेवन करने वालों हेतु निःशुल्क इलाज की व्यवस्था करना।

21. समाज के पिछड़े वर्ग हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण जैसे–टाइपिंग, कम्प्यूटर, डाटा प्रोसेसिंग, स्क्रीन प्रिन्टिंग टर्नर, इलेक्ट्रीशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिक, मोटर्स मैकेनिक, रेडियो ट्रेनिंग, कुटीर उद्योग, मोटर वाइडिंग, टी०सी० प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना एवं प्रचार–प्रसार करना।

22. वन व पर्यावरण मित्र पशु पक्षियों के सम्यक संरक्षण का उपाय सामाजिक प्रशासनिक स्तर से ताल मेल बिठाकर करना। जीव–जंतुओं की रक्षा के लिए जीव–जंतु कल्याण बोर्ड के कार्यक्रमों का संचालन, जीव–जंतुओं के प्रति दयाभावना उत्पन्न करने के लिए कार्यक्रम। पशु पालन, मत्स्य पालन, पक्षी पालन व जीव जन्तुओं के कल्याण हेतु कार्य करना।

23. संस्था के विकास में सहायक वे सभी कार्य करना जो सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम 1860 के अंतर्गत आते हों।

सहायक निबन्धक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
गोरखपुर

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी

कार्यकारिणी समिति के सदस्यों के नाम, पिता का नाम, पता, पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमों के अनुसार कार्यभार सौंपा गया–

क्र0 सं0	नाम	पिता / पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
1.	श्रीमती सुधा सिंह	श्री राजेश्वर सिंह	ग्रा0 / पो0–कोनी तह0–खलीलाबाद जि0–संतकबीरनगर	अध्यक्ष	समाजसेवा
2.	श्री सुभाष सिंह	स्व0 चन्द्रभान	ग्रा0–अहिरौली रानी, मउ जि0–अम्बेडकरनगर	उपाध्यक्ष	समाजसेवा
3.	श्री राजेश्वर सिंह	श्री ठाकुर सिंह	मुखलिसपुर रोड, बिधियानी तिराहा, गांधीनगर तह0–खलीलाबाद जि0–संतकबीरनगर	प्रबंधक / सचिव	समाजसेवा
4.	श्री समीर	श्री राजेश्वर	मुखलिसपुर रोड, बिधियानी तिराहा, गांधीनगर तह0–खलीलाबाद जि0–संतकबीरनगर	उपप्रबंधक	समाजसेवा
5.	श्री उमेश सिंह	श्री ठाकुर सिंह	ग्रा0 / पो0–कोनी तह0–खलीलाबाद जि0–संतकबीरनगर	कोषाध्यक्ष	समाजसेवा
6.	श्री रामविभुति यादव	श्री [illegible] यादव	ग्रा0–डेलूआखोर पो0–गुलहरिया जि0–संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा
7.	श्री बेचन प्रसाद	श्री केसाउ	ग्रा0 / पो0–सिकरी जि0–संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा
8.	कु0 सिप्रा सिंह	श्री राजेश्वर सिंह	मुखलिसपुर रोड, बिधियानी तिराहा, गांधीनगर तह0–खलीलाबाद जि0–संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा
9.	कु0 ज्योति	श्री कृष्ण मुरारी	ग्रा0–अहिरौली रानी, मउ जि0–अम्बेडकरनगर	सदस्य	समाजसेवा
10.	श्री राजेन्द्र तिवारी	श्री घुरउ तिवारी	ग्रा0–कर्री, पो0–सिकरी जि0–संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा

सुधा सिंह
राजेन्द्र तिवारी
सुभाष सिंह
सिप्रा सिंह

PRINCIPAL
Raj Global Academy

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी

	श्री लक्ष्मण पाण्डेय	स्व0 रमाकान्त	ग्रा0 / पो0–सिकरी जि0–संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा
12.	श्रीमती चन्द्रावती	श्री ठाकुर सिंह	ग्रा0 / पो0–कोनी खलीलाबाद, जि0–संतकबीरनगर	सदस्य	समाजसेवा
13.	श्री प्रदीप	श्री राधेश्याम	ग्रा0–अहिरौली रानी, मउ जि0–अम्बेडकरनगर	सदस्य	समाजसेवा
14.	श्री राकेश सिंह	श्री मदेश्वर सिंह	ग्रा0 / पो0–बैदौली बाबु पो0–भटौली बाजार उनवल, जि0–गोरखपुर	सदस्य	समाजसेवा

6. हम निम्न हस्ताक्षरकर्ता, संस्था को उपर्युक्त स्मृति–पत्र के अनुसार सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के अंतर्गत पंजीकृत कराना चाहते हैं।

दिनांक 15/3/2014

हस्ताक्षर

प्रतिलिपि कर्ता

मिलान कर्ता

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार

फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स

गोरखपुर

PRINCIPAL

Raj Global Academy

Chanda Dandha Malorana

Khalilabad S.K.N.-272175 (U.P.)

प्रबन्धक

राज ग्लोबल एकेडमी

मलोरना, खलीलाबाद-संत कबीर नगर

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

दस रुपये रु.10

TEN RUPEES Rs.10

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

70AD 851638

जनरल स्टाम्प पेपर [illegible]

[illegible]

जिला [illegible] लाइसेंस नं० [illegible]

[illegible] द्वारा जारी है।

कार्यालय सहायक निबन्धक फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स

सत्यमेव जयते

उत्तर प्रदेश गोरखपुर

PRINCIPAL
Raj Global Academy
Chanai Darde Malorna
Khalilabad S.K.N.-272175(U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
[illegible] गोरखपुर (उ० प्र०)
[illegible]

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी
मलोरना, खलीलाबाद संत कबीर नगर

संशोधित नियमावली

1. संस्था का नाम : **चन्द्रावती देवी जनकल्याण सेवा संस्थान**

2. संस्था का पूरा पता : मुखलिसपुर रोड, बिधियानी तिराहा, गांधीनगर तह0–खलीलाबाद, जि0–संतकबीरनगर (उ0प्र0)

3. संस्था का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग

क. भारत का वयस्क नागरिक, जो संस्थान के पूर्व कथित उद्देश्यों की पूर्ति में सहभागी बनना चाहता हो तथा संस्था के नियमों से पूर्ण सहमत हो, संस्था का सदस्य हो सकता है।

ख. प्रकार– संस्था में 4 प्रकार के सदस्य होंगे–

1) सामान्य सदस्य– जो प्रतिवर्ष 2000 रू0 शुल्क दें।

2) आजीवन सदस्य– जो संस्था को 50000 रू0 नकद या सममूल्य की वस्तु प्रदान करें।

3) संस्थागत सदस्य– वे संस्थायें जो प्रतिवर्ष 2500 रू0 शुल्क दें।

4) सम्मानित सदस्य– संस्था के प्रबंधक/सचिव द्वारा मनोनीत किए जा सकेंगे। ऐसे 4 सदस्य प्रबंधकारिणी समिति में कभी भी लिए जा सकेंगे जिन्हें प्रबंध समिति में मतदान का अधिकार होगा।

5. सदस्यता की समाप्ति– मृत्यु, पागलपन, न्यायालय द्वारा दण्डित होने पर, दिवालिया घोषित होने पर, संस्था विरोधी आचरण करने पर, सदस्यता शुल्क न देने पर, संस्था की सदस्यता स्वतः समाप्त हो जाएगी।

6. संस्था के अंग–

क) साधारण सभा।

ख) प्रबंधकारिणी समिति।

7. साधारण सभा–

अ) गठन– संस्था के सभी सदस्यों को सम्मिलित कर सभा का गठन होगा तथा प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी ही साधारण सभा के पदाधिकारी होंगे।

ब) बैठकें– साधारण सभा की सामान्य बैठक वर्ष में चार बार होगी।

स) सूचना अवधि– बैठक की सूचना समस्त सदस्यों को कम से कम 15 दिन पूर्व उपलब्ध माध्यमों से दी जाएगी।

द) गणपूर्ति– साधारण सभा की प्रत्येक बैठक में दो तिहाई सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी।

य) विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि– वर्षांत मई में साधारण सभा की विशेष बैठक होगी।

र) साधारण सभा के कर्त्तव्य–

1. प्रबंधकारिणी समिति द्वारा प्रस्तावित योजना तथा बजट का अनुमोदन करना।
2. संस्था के लेखा का अनुमोदन करना।
3. अन्य विषयों पर प्रबंधक/सचिव की अनुमति से विचार।
4. प्रबंधकारिणी समिति का चुनाव करना।

8. प्रबंधकारिणी समिति–

अ) गठन– नियमानुसार स्मृति–पत्र के प्रस्तर 5 में उल्लिखित अंकित व साधारण सभा द्वारा चयनित व्यक्ति ही प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारी होंगे। नियमानुसार अगले चुनाव तक प्रबंधकारिणी समिति कार्य करती रहेगी।

ब) बैठकें– प्रबंधकारिणी समिति की सामान्य बैठक 3 माह में एक बार होगी। विशेष बैठक प्रबंधक/सचिव के निर्देश पर अथवा 2/3 सदस्यों के लिखित अनुरोध पर बुलाई जा सकेगी। किसी भी पदाधिकारी या सदस्य द्वारा लगातार 3 बैठकों में अनुपस्थित रहने पर वह तत्काल प्रभाव से प्रबंधकारिणी समिति से अनिवार्यतः स्वतः पदमुक्त माना जाएगा। भले ही उसने लिखित रूप से त्यागपत्र दिया हो अथवा नहीं।

PRINCIPAL
Raj Global Academy

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ0 प्र0)

स) सूचना अवधि– सामान्य बैठक के लिए 7 दिन पूर्व तथा विशेष बैठक के लिए 3 दिन पूर्व सूचना उपलब्ध माध्यमों से दी जाएगी।
द) गणपूर्ति– सामान्य बैठक में 1/3 तथा विशेष बैठक में 2/3 सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति के लिए आवश्यक होगी। किसी सदस्य को यदि बैठक की सूचना न पहुँच सके तो उसकी अनुपस्थिति के कारण उक्त बैठक में पारित प्रस्ताव अवैध नहीं होंगे। यदि बैठक में निश्चित समय से 15 मिनट तक गणपूर्ति न हो तो 15 मिनट बाद उसी स्थान पर उपस्थित सदस्यों से ही वह बैठक की जा सकेगी।
य) रिक्त स्थानों की पूर्ति–प्रबंधकारिणी समिति के सदस्यों की रिक्तियां नियमानुसार भरी जाएंगी। किन्तु किसी सदस्य की रिक्ति पूर्ति न होने पर भी प्रबंधकारिणी समिति पूर्ववत कार्य करती रहेगी। प्रबंधक/सचिव ऐसी स्थिति में किसी व्यक्ति की नियुक्ति कर सकता है जिसे वह योग्य समझे।
र) प्रबंधकारिणी समिति के कर्तव्य–
1. स्मृति–पत्र के प्रस्तर 4 में उल्लिखित उद्देश्यों व सम्बद्ध योजनाओं व प्रकल्पों का अनुपालन तथा कार्यान्वियन करना। संस्था की समिति, उपसमिति या आवश्यकतानुसार अन्य प्रकोष्ठों का गठन करना।
2. आय–व्यय का लेखा तैयार करना/कराना तथा उनके लेखा–परीक्षण के लिए चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन तथा सेवा–शर्तों का निर्धारण करना।
3. आवश्यकतानुसार संस्था के कर्मचारियों की नियुक्ति करना तथा उनके वेतन तथा सेवा–शर्तों का निर्धारण करना।
4. नियमानुसार अन्य कार्य करना।
5. उद्देश्यों की पूर्ति हेतु प्रतिबंधयुक्त या प्रतिबंधरहित सरकारी अर्धसरकारी, गैरसरकारी संस्थाओं, अनुदान आयोगों तथा खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड/बैंक आदि से ऋण/दान/अनुदान/चंदा तथा चल–अचल सम्पत्ति प्राप्त करना तथा उनका सार्थक उपयोग करना। समस्त कार्यों हेतु विदेशी अभिदाय (फारेन एड) प्राप्त करना।
6. प्रबंधक/सचिव के निर्देशानुसार संस्था का कोई भी सदस्य संस्था की बैठकों को कार्यवाही रजिस्टर पर लिपिबद्ध कर सकेगा।
ल) कार्यकाल– प्रबंधकारिणी समिति का कार्यकाल 5 वर्षों का होगा तथा अगले चुनाव तक पहली प्रबंधकारिणी समिति कार्य करती रहेगी।

9. प्रबंधकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार–

क) अध्यक्ष– संस्था के सभी बैठकों की अध्यक्षता करना। संस्था का विकास कार्य करना। प्रबंध समिति के निर्णयों को कार्यान्वित करना। किसी विषय पर समान मत आने पर इसे निर्णायक मताधिकार होगा।
ख) उपाध्यक्ष– अध्यक्ष की अनुपस्थिति में बैठकों की अध्यक्षता करना तथा उसका सहयोग करना। अध्यक्ष के निर्देशानुसार कार्य करना तथा उसका सहयोग करना।
ग) प्रबंधक/सचिव– संस्था के मुख्य कार्यपालक के रूप में कार्य करना। पदाधिकारियों के त्यागपत्र स्वीकार करने की शक्ति इसमें निहित होगी। यह किसी पदाधिकारी या सदस्य के लिए पारिश्रमिक या मानदेय की व्यवस्था कर सकेगा। कर्मचारियों की नियुक्ति, पदोन्नति एवं निष्कासित करना। प्रबंधक/सचिव की सहमति/संस्तुति के बिना संस्था का कोई सदस्य नहीं बन सकेगा। यह प्रबंध समिति के सदस्यों को संस्था के विकास सम्बन्धित किसी कार्य हेतु आदेशित या निर्देशित कर सकेगा। यह बैठकों की कार्यवाही, सूचना आडिट व सम्पूर्ण विकास के लिए उत्तरदायी होगा। संस्था के समस्त अभिलेखों

PRINCIPAL
Raj Global Academy
Chanak Darule Malorna
Khalilabad S.K.N. 272175 (U.P.)

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी
मलोरना, खलीलाबाद-संत कबीर नगर

का रख–रखाव करना, बिल वाउचरों, अनुबंध पत्रों, संविदाओ, आहरण पत्रो पर हस्ताक्षर करना। संस्था की ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना और ऋण, अनुदान तथा क्रय–विक्रय से सम्बन्धित दस्तावेजो पर हस्ताक्षर करना। संस्था की चल–अचल सम्पति की देख–रेख की करना। संस्था के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु सम्पत्तियों को बन्धक रखकर बैंक/वित्तीय संस्थाओं से ऋण प्राप्त करना। प्रबंध समिति द्वारा प्रदत्त अधिकारों के प्रयोग की शक्ति। संस्था के उत्थान के लिए कार्य करना।

घ) उपप्रबंधक– प्रबंधक/सचिव की अनुपस्थिति में उसके द्वारा लिखित कार्यों को करना।

ड.) कोषाध्यक्ष– आय–व्यय का लेखा। प्रबंधकारिणी समिति द्वारा निर्धारित सीमा में नकद धन अपने पास रखना तथा प्रबंधकारिणी समिति को सहयोग करना।

च) सदस्य– स्मृति–पत्र के उल्लिखित उद्देश्यों के अनुपालन हेतु कार्य करना। मतदान करने का अधिकार तथा स्मृति–पत्र के प्रस्तर 4 में उल्लिखित कार्यों में सहयोग देना।

10. संस्था के नियमों व विनियमों में संशोधन प्रक्रिया–

संस्था की नियमावली में संशोधन या परिवर्धन साधारण सभा के 2/3 मतों के बहुमत से किया जा सकेगा। उन विषयों पर जहां नियमावली मौन है, सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट द्वारा स्वीकृत नियम प्रभावी होंगे।

11. संस्था के [illegible] कोष–

संस्था की आय के निम्न स्रोत होंगे–

क) सदस्यों से शुल्क ख) दान व उपहार ग) चन्दा घ) केन्द्र सरकार, राज्य सरकार व स्थानीय निकायों से अनुदान च) अन्य उपायों द्वारा धनोपार्जन। संस्था का कोष किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में रखा जाएगा। संस्था के नाम से अध्यक्ष व प्रबंधक/सचिव द्वारा संयुक्त रूप से खाता खोला जाएगा। बैंक खाते से धन का आहरण संस्था के अध्यक्ष व प्रबंधक/सचिव दोनों के संयुक्त हस्ताक्षर से हो सकेगा।

दायित्व– प्रबंधकारिणी समिति के सदस्य जो खादी ग्रामोद्योग आयोग/बोर्ड/बैंक से धन प्राप्त करेंगे, प्राप्त धन के सदुपयोग, सुरक्षा तथा देनदारी के लिए जिम्मेदार होंगे। भले ही वे संस्था में रहें या नहीं।

12. संस्था के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण आडिट–

प्रबंधकारिणी समिति द्वारा नियुक्त चार्टर्ड एकाउण्टेण्ट द्वारा प्रतिवर्ष कराया जाएगा।

13. अदालती कार्यवाही का दायित्व–

संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का दायित्व प्रबंधक/सचिव या तन्नियुक्त व्यक्ति का होगा।

14. संस्था के अभिलेख–

सदस्यता, कार्यवाही, कैशबुक आदि संस्था के अभिलेख होंगे।

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स, सोसाइटीज एवं चिट्स
गोरखपुर (उ० प्र०)

PRINCIPAL
Raj Global Academy

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी

15. प्रतिबंध–

संस्था राज्य सरकार के निम्नलिखित प्रतिबंधों का अनुपालन करेगी।
1. विद्यालय की पंजीकृत सोसायटी समय समय पर नवीनीकरण करना।
2. विद्यालय की प्रबंधसमिति में शिक्षा निदेशक द्वारा नामित एक सदस्य होगा।
3. विद्यालय में कम से कम 10 प्रतिशत स्थान अनुसूचित जाति/जनजाति के मेधावी बच्चों के लिए सुरक्षित रहेंगे और उनसे उ0प्र0 माध्यमिक शिक्षा परिषद/बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित विद्यालय में विभिन्न कक्षाओं के लिए निर्धारित शुल्क से अधिक शुःल्क नहीं लिया जायेगा।
4. संस्था द्वारा राज्य सरकार से किसी अनुदान की मांग नहीं की जायेगी और यदि पूर्व में विद्यालय माध्यमिक शिक्षा परिषद से मान्यता प्राप्त है तथा विद्यालय की संबद्धता सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेन्ड्री एजूकेशनल नई दिल्ली/कौंसिल आफ दि इण्डियन स्कूल सर्टिफिकेट इक्जामिनेशन नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त होती है, तो उस परीक्षा द्वारा प्रदत्त मान्यता तथा राज्य सरकार से प्राप्त अनुदान स्वतः समाप्त हो जायेंगे।
5. संस्था के शैक्षिक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का राजकीय सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं के कर्मचारियों की अनुमन्य वेतनमान तथा अन्य भत्तों से कम वेतनमान तथा अन्य भत्ते नहीं दिये जायेंगे।
6. कर्मचारियों की सेवा शर्तें बनायी जायेगी और उन्हें सहायता प्राप्त अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के कर्मचारियों की अनुमन्य सेवा निवृत्ति का लाभ उपलब्ध कराये जायेंगे।
7. राज्य सरकार द्वारा समय समय पर जो आदेश निर्गत किये जायेंगे संस्था उनका पालन करेगी।
8. विद्यालय का रिकार्ड निर्धारित प्रपत्र पंजिकाओं में रखा जायेगा।
9. उक्त शर्तों में राज्य सरकार के पूर्वानुमोदन के बिना कोई परिवर्तन/संशोधन/परिवर्धन नही किया जायेगा।

16. संस्था का विघटन–

संस्था के विघटन और विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोसायटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 13 व 14 के अंतर्गत की जाएगी।

दिनांक

सत्य प्रतिलिपि

प्रबंध समिति के सदस्यों के हस्ताक्षर

PRINCIPAL
Raj Global Academy

सत्य – प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
उ० प्र० गोरखपुर

प्रबन्धक
राज ग्लोबल एकेडमी

प्रतिलिपि कर्ता...
मिलान कर्ता...

GA-54431

चन्द्रावती देवी जन कल्याण सेवा संस्थान, सु० नगर

28/12/2018

28/12/18

PRINCIPAL
Raj Global Academy
Chamar Danda Malchana
Khalilabad, S.K.N.-272175 (U.P.)

MANAGER
Raj Global Academy
Chamar Danda Malchana
Khalilabad, S.K.N.-272175 (U.P.)

आयकर विभाग भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA

CHANDRAWATI DEVI JANKALYAN
SEWA SANSTHAN

12/06/2014

Permanent Account Number

AACAC5085E

21042016

आयकर विभाग भारत सरकार

INCOME TAX DEPARTMENT GOVT. OF INDIA

CHANDRAWATI DEVI JANKALYAN SEWA SANSTHAN

12/06/2014

Permanent Account Number

AACAC5085E

21042016